UNIT - I

Trespass (अतिचार)

Trespass to Land (भूमि अतिचार)

भूमि अतिचार का तात्पर्य किसी विधिपूर्ण न्यायानुमति के बिना भूमि के अधिपत्य (कब्जा) से हस्तक्षेप अथवा बाधा करना है। ऐसा हस्तक्षेप अथवा बाधा किसी मूर्त पदार्थ के माध्यम से होता है।

उदाहरण – किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर वृक्षारोपण करना भूमि अतिचार है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर वृक्ष लगाता है और उसकी जड़े व शाखाएँ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में चली जाती है, तो वह भूमि अतिचार न होकर न्यूसेंस (उपताप) होगा।

जहां किसी अन्य व्यक्ति की जमीन मे प्रवेश करने का विधिपूर्ण अधिकार है, वहाँ भूमि अतिचार नही होता है।

माधव विट्ठल कुदवा बनाम माधव दास बल्लभ दास के वाद मे प्रतिवादी वादी का किरायेदार था। वह बहुमंजिले भवन की प्रथम मंजिल पर रहता था तथा अपनी कार वादी के सहाते मे खड़ी करता था। वादी ने तर्क दिया कि उसकी अनुमति की बिना सहाते मे कार खडी करना अतिचार है। यह धारित किया गया कि बहु मंजिले भवन के किरायेदार का यह अधिकार है कि यदि उसके पास कोई वाहन है तो वह बहुमंजिले भवन के आहते मे खडा रखे। परन्तु

WOW!

Scanned with CamScanner

ऐसा करने मे उसे किसी व्यक्ति को असुविधा नही कारित करनी चाहिए। इस अधिकार का प्रयोग भू- स्वामी की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है।

अतिचार स्वयं अपने आप मे कार्यवाही योग्य है और वादी को अतिचार की कार्यवाही मे कोई ~~क्षति सिद्ध~~ करने की आवश्यकता नही होती।

आरम्भत: अतिचार (~~अत्य~~ Trespass ab initio)

जब कोई व्यक्ति किसी विधिपूर्ण अधिकार से किसी परिसर मे प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात दोषपूर्ण कार्य करके उस प्राधिकार का दुरुप्रयोग करता है तो वह व्यक्ति उस सम्पत्ति के सम्बन्ध मे आरम्भ से ही अतिचारी माना जायेगा।

सिक्स कारपेन्टर्स के वाद मे 6 ~~बढ़ई~~ बढ़ई एक सराय मे गये और वहाँ उन लोगो ने कुछ शराब और डबल रोटी का आदेश दिया। शराब पीने और डबल रोटी खाने के बाद उन लोगो ने उसका भुगतान करने से इन्कार कर दिया अत: यह धारित किया गया कि इस मामले मे आरम्भत: अतिचार को कोई मामला नही बनता।

अतिचार के उपचार (भूमि अतिचार के प्रति अतिचार)

Remedies -

1) पुन: प्रवेश (Re-entry)
2) निष्कासन, बेदखली की कार्यवाही
3) मध्यवर्ती लाभ के निमित्त कार्यवाही
4) अतिचारी वस्तु का जब्त करना

NOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

1) पुनः प्रवेश (Re-entry)

जब किसी व्यक्ति का कब्जा अतिचारी द्वारा व्यवधानित किया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह युक्तियुक्त बल का प्रयोग करके अपने कब्जे को अतिचारी से खाली करा ले। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अधिकार का प्रयोग करके अपने कब्जे से अतिचारी को बाहर निकाल देता है तो उसका कार्य अपकार (अपकृत्य) नहीं माना जाता है।

टैमिंग्स बनाम स्टोक पेम्स गॉल्फ क्लब के वाद में वादी प्रतिवादी के नियोजन में था और प्रतिवादी द्वारा उसे एक मकान दिया गया था। सेवा समाप्ति के बाद वादी को समुचित तरीके से एक सूचना दी गयी थी कि वह उसके मकान को खाली कर दे। परन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तब प्रतिवादी ने युक्तियुक्त बल का प्रयोग करके स्वयं उस परिसर में प्रवेश करके वादी और उसके सामान को बाहर निकाल दिया। प्रतिवादी को उत्तर-दायी नहीं माना गया। क्योंकि उसने कार्यवाही अतिचारी को आवास से निकालना ही था।

2) बेदखली की कार्यवाही/निष्कासन - विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि. 1963 की धारा - 6 में बेदखली के लिए संक्षिप्त आधार प्रदान किया गया है। जो इस प्रकार है - "यदि किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण रीति से उसकी सम्मति के बिना अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया है तो वह व्यक्ति वाद संस्थित करके उस सम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत कोई भी वाद बेकब्जा करने की तिथि से छः माह की समाप्ति के पश्चात् संस्थित नहीं किया जा सकता है। और न ही ऐसा कोई वाद सरकार के विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है।

WOW!

Scanned with CamScanner

3) मध्यवर्ती लाभ के निमित्त कार्यवाही- अतिचारी को बेदखल करके भूमि को पुनः अपने कब्जे मे लेने के साथ- साथ उस व्यक्ति का यह भी अधिकार होता है कि वह उस क्षति के लिए प्रतिकर प्राप्त करने की कार्यवाही हो ऐसे प्रतिकर की वसूली की कार्यवाही मध्यवर्ती लाभ की कार्यवाही के नाम से जाना जाता है।

4) अतिचारी वस्तु का जब्त करना- अतिचारी व्यक्ति के वस्तु को जब्त करने का अधिकार उस व्यक्ति के हो जिसके कब्जे मे भूमि हो। पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अतिचार करने वाले या अन्य जाम वस्तुओ को जब्त कर ले और उन्हे अपने पास रोक कर रखे जब तक कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर दी जाती।

होर्डिंग बनाम रोस्को के वाद मे भूमि के अधिभोगी (कब्जेदार) को एक टट्टू को तब तक रोक रखने का अधिकारी बताया गया जब तक कि क्षति के प्रतिकर का भुगतान न कर दिया जाये।

Trespass to goods (माल अतिचार)

माल अतिचार का तात्पर्य वादी के कब्जे के माल के साथ बिना किसी विधिक न्यायकुमत के भौतिक हस्तक्षेप करना है। उदाहरण- किसी कार पर पत्थरों को फेकना, चिड़ियों को गोली से दागना, पशुओ को पीटना अथवा उनमे किसी प्रकार के रोग का संक्रमण कराना या पशुओ को इस प्रकार खदेड़ना ताकि वे अपने स्वामी के अधिपत्य से निकल कर भाग जाएं।

माल अतिचार भी स्वयं अपने आप मे कार्यवाही योग्य है अर्थात इसमे क्षति को साबित किये बिना ही वाद

NOW।

सस्थित किया जा सकता है। किन्तु, यदि वादी की कुछ क्षति नही हुई है तो वह केवल नाम मात्र की नुकसानी प्राप्त कर सकेगा।

यह अधिपत्य (कब्जे) के प्रतिकूल (विपरीत) अपकार है
ऐसा कोई भी व्यक्ति कार्यवाही करने का अधिकारी है, जिसके माल का कब्जा प्रत्यक्षत: व्यवधानित हुआ है। कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति पर या तो प्रत्यक्षतः वास्तविक कब्जा रखता है अथवा अन्वयिक कब्जा (Constructive Possession)। माल का स्वामी माल पर अपने सेवक अथवा अभिकर्ता या माल के वाहक अथवा उपनिहिती के माध्यम से कब्जा रख सकता है। परन्तु जब स्वामी ने अपना कब्जा त्याग दिया है तब वह कार्यवाही करने का अधिकारी नही होगा। अतिचार, अधिपत्य के विपरीत अपकार है, न कि स्वामित्व के। उस लिए जो कब्जेदार व्यक्ति है, कार्यवाही कर सकता है, चाहे भले ही कोई अन्य व्यक्ति माल का स्वामी हो।

आर्मरी बनाम डेलामरी (1721) के वाद मे चिमनी की सफाई करने वाले लड़के को चिमनी के भीतर एक आभूषण प्राप्त हुआ। उसने उसे मूल्य आँकने के लिए एक जौहरी को दिया। जब जौहरी ने उस आभूषण को वापिस करने से इन्कार कर दिया, तो यह धारित किया गया कि वह लड़का उस जौहरी से उस आभूषण का मूल्य वसूल करने का अधिकारी था।

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप-(Direct interference)
बिना विधिपूर्ण न्यायानुमति के प्रत्यक्ष भौतिक हस्तक्षेप करना ही अतिचार है।
एक व्यक्ति, जो किसी की कार को लेकर जाता है और यह विश्वास करता है कि वह उसी की है, उस व्यक्ति के प्रति अतिचार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका कब्जा उस कार पर था। — विल्सन बनाम लौम्बौक लिमिटेड (1963)

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

Dt.
Pg. 6

विधिक न्यायानुमति का न होना (Without lawful justification)

जब हस्तक्षेप के साथ विधिक न्यायानुमति का अभाव रहता है तब अतिचार की कार्यवाही की जा सकती है। क्रेसवेल बनाम सर्ल (1948) के वाद मे प्रतिवादी के पुत्र ने वादी के कुत्ते को गोली से दाग दिया था, क्योंकि वह कुत्ता उसकी भेड़ो पर आक्रमण किया करता था। वादी द्वारा की गई कार्यवाही मे यह धारित किया कि यह प्रतिवादी का कार्य है कि वह कुत्ते को मारने का न्यायानुमत सिद्ध करे और ऐसा वह यह सिद्ध करके कर सकता है कि कुत्ता या तो उसकी भेडो पर आक्रमण कर रहा था अथवा आक्रमण की आसन्न आशंका सदैव बनी रहती थी और यह कि कुत्ते के आक्रमण को निवारित करने के लिए उसको गोली से मारना ही एक युक्तियुक्त साधन था।

Detinue निरुद्धि

प्रतिवादी जब दोषपूर्ण रीति से वादी के माल को निरुद्धि मे रखता है और उसकी विधिपूर्ण मांग पर उसको देना अस्वीकार कर देता है तब वादी न्यायालय मे दावा करके उसको पुनः प्राप्त कर सकता है।

इसी प्रकार यदि एक उपनिहती उपनिधान के पर्यवसान के बाद उसको वापस करने से इंकार कर देता है तो वह उसकी वापसी के लिए वाद की कार्यवाही मे उत्तरदायी होगा।

इस प्रकार की किसी कार्यवाही मे प्रतिवादी को या तो विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति वादी को लौटा देनी पड़ती है अथवा उसे उसके मूल्य का भुगतान करना पड़ता है।

निरुद्ध की कार्यवाही और अतिचार के बीच अन्तर निरुद्धि की कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि माल अवश्य ही प्रतिवादी के कब्जे मे है जबकि माल अतिचार उस स्थिति मे भी किया जा सकता है जब माल वादी के कब्जे मे हो।

Scanned with CamScanner

इंग्लैण्ड मे " टार्ट्स (इन्टरफियरेन्स विद गुड्स) एक्ट, 1977 पारित होने के साथ ही बदाली का दावा (action for detinue) खत्म कर दिया गया है। किन्तु संपरिवर्तन (Conversion) अपकृत्य का विस्तार करके उनमे उन स्थितियों को भी सम्मिलित कर दिया गया है जिन्हे निरुद्धि की संज्ञा दी जाती है।

भारत मे निरुद्धि को अपने इस रूप मे अपकृत्य की भांति उल्लिखित नही किया गया है, परन्तु (Specific Relief Act, 1963) द्वारा विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति के प्रत्यादान (वापसी) की ऐसी ही कार्यवाही को मान्य किया गया है। न्यायालय ने कभी - कभी इस तरह की कार्यवाही को निरुद्धि की संज्ञा प्रदान करते है।

बंशी बनाम गोवर्धन के वाद मे प्रतिवादी ने वादी से किराये पर साइकिल ली और वह साइकिल वापस मे विफल रहा। यह धारित किया कि वादी को साइकिल का आंकलित मूल्य (तीन सौ रुपये) निरोध वाद की कार्यवाही के अन्तर्गत देने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया।

संपरिवर्तन (Conversion)

अर्थ — संपरिवर्तन का तात्पर्य जान बूझकर और बिना किसी विधिक न्यायानुमति के किसी माल के साथ इस रीति मे समव्यवहार करना है कि कोई अन्य व्यक्ति जो उस माल के तात्कालिक प्रयोग और अधिपत्य का अधिकारी है, उससे वंचित हो जाये।

सामण्ड के अनुसार, " किसी व्यक्ति के अधिकार रख

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

अधिपत्य से बिना किसी विधिपूर्ण न्यायानुमति के किसी व्यक्ति द्वारा आशय वंचित करना संपरिवर्तन है।

विनफील्ड के अनुसार, "किसी व्यक्ति के अधिकार एवं स्वत्व से बिना किसी विधिपूर्ण न्यायानुमति के इन्कार करना संपरिवर्तन है।"

रिचर्डसन बनाम ऐटकिंसन (1723) के मामले मे प्रतिवादी ने वादी के पीपे से कुछ शराब निकाल ली और शेष बची शराब मे पानी मिला दिया ताकि उसे इस कृत्य की जानकारी न हो सके। प्रतिवादी को सम्पूर्ण पीपे की शराब के संपरिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

संपरिवर्तन के आवश्यक तत्व– संपरिवर्तन के गठन के लिए निम्न तत्व आवश्यक है–

1-) अधिपत्य (कब्जा) (Possession)
2-) वादी के कब्जे को प्रतिवादी द्वारा इंकार करना

1-) अधिपत्य– संपरिवर्तन की कार्यवाही के लिये यह आवश्यक है कि माल के संपरिवर्तन के समय वादी को माल पर तात्कालिक कब्जे का अधिकार होना चाहिए।

एक उपनिहिती किसी भी तीसरे पक्षकार पर संपरिवर्तन के निमित्त वाद संस्थित कर सकता है।

2-) वादी के कब्जे का प्रतिवादी द्वारा इंकार करना– प्रतिवादी के कार्य को इस कोटि मे आना चाहिए कि जो माल पर वादी के अधिकार की अस्वीकृति है। जिसके लिए वादी हकदार है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना अतिचार हो सकता है परन्तु यह

Scanned with CamScanner

सम्परिवर्तन नहीं है।

संपरिवर्तन के उपचार— कोई व्यक्ति जो संपरिवर्तन के किसी कार्य के पीड़ित हो उसको निम्नलिखित उपचार उपलब्ध है—
1) क्षतिपूर्ति के लिए वाद,
2) विशिष्ट पुर्नस्थापना के लिए वाद
3) तथा धन की प्राप्ति के लिए

1) क्षतिपूर्ति— साधारण क्षतिपूर्ति के मापदण्ड मे वस्तु की मूल्य के अनुसार तय किया जाता है, तथा वादी, यदि कोई विनिर्दिष्ट क्षति साबित करता है जो कि संपरिवर्तन का प्रत्यक्ष ~~प्रभ~~ परिणाम है तो उसे भी प्राप्त कर सकता है।

2) विशिष्ट पुर्नस्थापन— न्या० को अधिकार है कि वह प्रतिवादी द्वारा धारित विशिष्ट चल सम्पत्ति का कब्जा वादी को (संपरिवर्तन से पीड़ित व्यक्ति) पुर्नस्थापित करे।

3) धन प्राप्ति के लिये— वादी द्वारा दिये गये धन को प्रतिवादी से वापस दिलायें जाने का आदेश न्यायालय कर सकता है।

संपरिवर्तन एंव निरुद्धि मे अंतर

1) संपरिवर्तन वादी के कब्जे मे प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप है जबकि निरुद्धि उसको अविधिपूर्ण ढंग से प्रतिवादी द्वारा कब्जे मे रखा जाता है।
2) संपरिवर्तन का उपचार क्षतिपूर्ति है जबकि निरुद्धि का उपचार ~~निरुद्ध~~ का उपचार विशिष्ट सम्पत्ति की पुर्नप्राप्ति है।

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति (Malicious falsehood)

विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति ऐसा कथन होता है जो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया गया होता है तथा वादी से सम्बन्धित होती है। जिसके कारण वादी के आर्थिक हित, प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। यह अपकार मानहानि जैसा होता है। इस वजह के कारण वादी को हानि(क्षति)सहन करनी पड़ती है जो किसी तृतीय व्यक्ति से कहा गया है। किन्तु इन दोनों मे अन्तर होता है— मानहानि के मामले मे वादी का जो हित प्रभावित होता है वह उसकी ख्याति है जब कि विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति मे वादी का आर्थिक हित प्रभावित होता है।

मानहानि के अपकार मे दुराशय विद्यमान रहना आवश्यक नही है परन्तु विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति के अपकार मे दुराशय आवश्यक तत्व है।

उदाहरण— वादी द्वारा उत्पादित माल मे खराबियों का कथन। ऐसे कथन का प्रकट प्रभाव वादी के माल के मूल्य मे कमी करता है। विधि ऐसे कथन की अनुमति देती है जिसके द्वारा कोई व्यवसायी यह दावा करता है कि उसका माल प्रतिद्वन्दी व्यवसायी से कहीं अधिक अच्छा है। परन्तु यह उस समय ऐसे कथन को कार्यवाही योग्य बना देती है जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल का गुण मिथ्या और विद्वेषपूर्ण कथनों के प्रभाव से घटिया किस्म का स्थापित कर दिया जाता है।

रेडक्लिफ बनाम इवान्स (1892) प्रतिवादी द्वारा किया गया विद्वेषपूर्ण यह कथन कि वादी का व्यापार बन्द हो चुका है वादी के लिए आर्थिक क्षति के रूप मे प्रतिफलित हो सकता है क्योंकि इस कथन का सहज स्वाभाविक परिणाम उसे अपने ग्राहकों को खो

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

देना है यह विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति है जिसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी हो सकता है।

दि डिफेमेशन एक्ट 1952 (English Law) विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति के लिए विशिष्ट क्षति का सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं मानता, यदि—

क) वे शब्द जिनकी आधार शिला पर कार्यवाही की जा सकती है वादी को आर्थिक क्षति कारित करने की प्रवृत्ति से संयुक्त है और लेख अथवा किसी अन्य स्थायी स्वरूप प्रकाशित किये गये है, अथवा

ख) यदि वे शब्द वादी को किसी पद, व्यवसाय, आजीविका, वाणिज्य अथवा व्यापार के सन्दर्भ में, जिसे कथन के प्रकाशन के समय वादी ने धारण कर रखा था अथवा उसे चलाता था वादी को आर्थिक क्षति कारित कर सकने के लिए आकलन किये गये थे।

अपना माल किसी दूसरे के नाम पर चला देना (Passing off)

इस अपकार में व्यापारी धोखे से परिपूर्ण युक्तियों को अपना कर अपना विक्रय बढ़ा लेता है और अपने माल को इस ढंग से चलने देता है कि वह माल किसी अन्य व्यक्ति का है यदि कोई व्यक्ति अपने उत्पादों के लिए वादी के सामान नाम प्रयुक्त करता है अथवा अपने उत्पादन को इस प्रकार की साज सज्जा प्रदान करता है जिससे कि वह यह लगे कि वह वादी का माल है तो इसमें अपना माल किसी दूसरे के नाम चला देना (Passing off) का अपकृत्य बनता है।

प्रतिवादी का उत्तरदायित्व धोखे के ज्ञान अथवा आशय की सिद्धि के अभाव में भी उत्पन्न हो जाता है यह भी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वादी ने इस अपकृत्य के लिए किसी प्रकार की क्षति सहन की है। क्योंकि इस अपकार में क्षति की अवधारणा होती है। इस अपकार में केवल इतना साबित करना आवश्यक

WOW!

Scanned with CamScanner

है कि प्रतिवादी का माल इस प्रकार चिन्हांकित निर्मित अथवा वर्णित किया गया।

अपना माल दूसरे के नाम पर चला देने का अपकृत्य उस ख्याति को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से युक्त रहता है जिसे कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अर्जित कर सकता है ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति उस ख्याति का प्रयोग न कर सके।

एलौरा इण्डस्ट्रीज बनाम बनारसी दास A.I.R. 1980 के वाद मे वादीगण बनारसी दास एण्ड ब्रदर्स घड़ियो तथा उनके पूर्जो के सन्दर्भ मे "एलौरा" व्यापार चिन्ह के पूंजीकत स्वामी थे। वह इस व्यापारिक नाम से 1955 ई० से ही घड़ियो को बेच रहे थे। प्रतिवादी ने टाइम पीस का निर्माण किया और इन घड़ियो के डायल पर "गार्गन" व्यापार चिन्ह छापा। गत्ते से बने डिब्बे पर जिनमे इन टाइम पीस घड़ियो को रखा गया था, "एलौरा इण्डस्ट्रीज गार्गन" (पंजाब) मुद्रांकित किया गया था। प्रतिवादी ने इस व्यापार चिन्ह को सन 1962 ई० मे अपने व्यापारिक शैली के रूप मे अंगीकृत किया था। वादी ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी और न्यायालय से यह निवेदन किया कि व्यादेश जारी करके प्रतिवादी को एलौरा अथवा उसके सामान कोई अन्य चिन्ह प्रयोग करने से रोका जाये, और प्रतिवादी को निवारित किया जाये कि वह वादी के माल के रूप मे अपने माल को न चलाये। न्या० ने यह धारित किया कि वादी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी था, क्योंकि यह स्पष्टतया: अपने माल को दूसरे के माल के रूप मे चला देने का मामला था।

अपकथन के लिए उत्तरदायित्व / मिथ्या कथन
(Liability for Mis-statement)

अपकृत्य विधि के अन्तर्गत मिथ्या कथन के परिणाम

स्वरूप निम्नलिखित तीन स्वरूप है—
1) छल अथवा कपट के लिए दायित्व—(Fraud or Deceit)
2) उपेक्षापूर्ण अपकथनों के लिए उत्तरदायित्व (Negligent Mis-statement)
3) मिथ्या ~~व्य~~ निर्दोष व्यपदेशन के लिए उत्तरदायित्व

1) छल अथवा कपट (Fraud or Deceit)

छल अथवा कपट उस मिथ्या कथन मे निहित होता है जो जानबूझकर किया गया होता है और जिसे इस आशय से किया गया है कि वादी उत्प्रेरित हो कर उसके अनुसार कार्य करे और जब वादी उस पर कार्य करके क्षति सहन करता है तो यह अपकार वाद योग्य बन जाता है।

कपट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है—
1) प्रतिवादी ने मिथ्या व्यपदेशन किया हो अथवा कथन किया हो।
2) प्रतिवादी जानता था कि कथन मिथ्या है।
3) यह कथन वादी को धोखा देने के आशय से किया गया हो।
4) वादी ने कथन के अनुसरण मे कार्य करके क्षति सहन की हो।

1) मिथ्या व्यपदेशन या कथन— सामान्यतः कपट की संरचना के लिए तथ्य के एक सकारात्मक कथन की आवश्यकता होती है। कथन या तो शब्दों द्वारा अथवा आचरण द्वारा निर्मित किया जा सकता है।

आर बनाम बुनर्ड (1837) के वाद मे एक व्यक्ति बिना किसी अधिकार के टोपी और चोगा वस्त्र धारण करके घूमे था। ऐसा करने के पीछे उसका आशय यह था कि उस वस्त्र के कारण लोग उसे विश्वविद्यालय का एक सदस्य समझ लेगे और उसे माल उधार दे दे। यहाँ यह धारित किया गया कि ऐसा आचरण कपट का निर्माण करता है।

W.B.N.I

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

4) मौन रहना मात्र — सत्य को प्रकट न करके निश्चित तथ्यों के सन्दर्भ मे मौन रहना कपट का निर्माण नहीं करता।

यदि मै अपना अस्वस्थ घोड़ा बेचता हूँ तो यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता को मैं उसकी अस्वस्थता के तथ्य से अवगत कराऊँ।

श्रीकृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाद मे श्रीकृष्ण जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की L.L.B भाग I परीक्षा का अभ्यार्थी था, आपेक्षित उपस्थिति पूरी न कर सका था। परीक्षा के लिए भरे गये प्रवेश फार्म मे उसने यह तथ्य उल्लिखित नहीं किया था। न तो विधि विभाग के अध्यक्ष और न ही विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस तथ्य को जान सके, क्योंकि उन्होंने फार्म की समुचित जाँच नहीं की थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि अपनी उपस्थिति के विषय मे मौन रहकर अभ्यर्थी द्वारा कपट नहीं किया गया और विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं था कि वह इस आधार पर अभ्यार्थी को परीक्षा मे बैठने से वंचित कर दे।

कब मौन रहना मात्र कपट है — निम्न आपवादिक मामलो मे सम्पूर्ण तथ्यों को न प्रकट करना कपट का निर्माण कर सकता है —

1) जब बोलने का कर्तव्य विद्यमान हो — यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मौन धारण कर लेता है ताकि दूसरो के मस्तिष्क मे कोई मिथ्या छाप अंकित करे तो यह कपट माना जायेगा।

उदाहरण — बीमा अथवा इन्श्योरेन्स की संविदा मे बीमा करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह बीमा की संविदा से सम्बन्धित सभी सारवान् तथ्यों को प्रकट करे। यदि वह कुछ सूचना देने से रोक लेता है, तो यह कपट माना जायेगा।

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

2) यदि कोई व्यक्ति कोई कथन इस विश्वास के साथ करता है कि वह कथन सत्य है परन्तु उसे बाद मे यह ज्ञात होता है कि वह कथन गलत था, तो उसका यह कर्त्तव्य है कि वह उसकी जानकारी दे और कथन को ठीक करे। यदि कथन ठीक नही किया जाता और वादी उस कथन के अनुसरण मे कार्य करके क्षति सहन करता है तो प्रतिवादी कपट के लिए उत्तरदायी होगा।

3) केवल अर्द्ध सत्य बोलना भी कपट हो सकता है यदि ऐसे कथन का दूसरा भाग प्रकट न किया गया हो और वह मिथ्या हो।

4) दोषो को सक्रियता के साथ छिपाना उन तथ्यो के सन्दर्भ मे मिथ्या कथन होता है।

II) प्रतिवादी यह जानता था कि कथन मिथ्या है – प्रतिवादी को उत्तरदायी बनाने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी यह जानता था कि कथन मिथ्या है अथवा कथन की सत्यता के बारे मे विश्वास नही करता था।

डेरी बनाम पीक के वाद मे हाउस ऑफ लार्डस ने यह धारित किया कि प्रतिवादी को कपट के लिए उत्तरदायी नही बनाया जा सकता है क्योकि उन लोगो ने जो कथन किया था उसकी सत्यता मे उन्हे ईमानदारी के साथ विश्वास था।

III) वादी को धोखा देने का आशय – प्रतिवादी द्वारा किया गया कथन इस आशय से होना चाहिए कि वादी उस पर विश्वास करके उसके अनुसरण मे कुछ कार्य करेगा।

लैंगरिज बनाम लेवी (1833) के वाद मे वादी के पिता ने प्रतिवादी से अपने तथा अपने पुत्र के प्रयोग के लिए एक बन्दूक खरीदी। प्रतिवादी ने कपटयुक्त

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

वचन किया कि बन्दूक एक प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा बनायी गयी है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वादी जब बन्दूक का प्रयोग कर रहा था बन्दूक फट गयी और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। यह धारित किया गया कि चाहे भले ही कपट पूर्वक कथन वादी के पिता से किया गया हो, वादी कपट के लिए सफलतापूर्वक वाद संस्थित कर सकता है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा किया गया कथन वादी के प्रति भी निर्दिष्ट था।

III→ वादी ने कथन के अनुसरण में कार्य करके क्षति सहन की हो—

हासफील्ड बनाम थॉमस (1862) के वाद में वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध एक बन्दूक के मूल्य के लिए वाद संस्थित किया जिसको कि उसने कपटपूर्वक एक दोषको छिपाकर बेची थी। प्रतिवादी ने बन्दूक का मूल्य इस आधार पर भुगतान करने से इन्कार कर दिया कि उसको धोखा दिया गया था। यह अवधारित किया गया कि वादी ने कोई कपट नहीं किया था क्योंकि चाहे भले ही वादी ने प्रतिवादी से कपट करना चाहा हो प्रतिवादी ने बन्दूक खरीदते समय उसका परीक्षण किया था और वादी के कार्य से प्रभावित नहीं हुआ था।

उपेक्षापूर्ण अपकथन
(Negligent Mis-statement)

यदि किसी व्यक्ति ने कोई कथन या कार्य सद्भाव पूर्वक व ईमानदारी के साथ किया है। परन्तु उपेक्षापूर्वक किया है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को क्षति होती है। तब ऐसे कथन करने वाला व्यक्ति उपेक्षापूर्ण कथन के लिए दायी होगा या नहीं इसी का उपबन्ध उपेक्षापूर्ण अपकथन में किया गया है।

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

Dt.

कैन्न बनाम विलसन (1888) के मामले मे उपेक्षापूर्ण अप कथन की कार्यवाही को मान्यता प्रदान की गयी और क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी।

डैरी बनाम पीक के मामले मे हाउस ऑफ लार्ड्स ने अभिनिर्धारित किया कि किसी उपेक्षापूर्ण कथन के लिए छल का दायित्व नही बन सकता जब तक कि कथन बेईमानी से ना किया गया हो। बाद मे इस निर्णय का तात्पर्य केवल यह समझा गया कि उपेक्षापूर्ण कथन मात्र के लिए कोई उत्तरदायित्व नही बन सकता है, उत्तरदायित्व के लिए कथन का प्रवंचनापूर्ण होना चाहिए।

इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि कैन्न बनाम विलसन का निर्णय डैरी बनाम पीक मे दिये हुये निर्णय का विरोधी माना गया और अन्ततः लेलीवर बनाम गोल्ड (1893) के वाद मे कोर्ट ऑफ अपील ने कैन्न बनाम विलसन मे दिये गये निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया।

सन् 1932 मे डोनोघ्यू बनाम स्टीवेन्सन के वाद मे हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा उपेक्षा के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया तथा कुछ अन्य मामलो मे भी यह कहा गया कि अब उपेक्षापूर्ण शर्तो के लिए वैसे ही दायित्व के अधीन हो सकते है जैसे कि उपेक्षापूर्ण कार्य पर।

हैडले वायरन एण्ड कम्पनी लिमिटेड बनाम हलर एण्ड पार्टनर्स के वाद मे हाउस ऑफ लार्ड्स कैन्न बनाम विलसन के निर्णय को पुनः स्थापित करते हुये कहा कि ले लीवर बनाम गोल्ड तथा कैन्डलर बनाम क्रेन्न आदि के वाद मे दिया गया निर्णय सुसंगत नही है।

पक्षकारो के बीच संविदा अथवा वैश्वासिक सम्बन्धो के अभाव मे उपेक्षापूर्ण कथन के लिए कोई दायित्व नही है।

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

निर्दोष व्यपदेशन
(Innocent Misrepresentation)

जब कि कोई व्यक्ति मिथ्या करता है, यद्यपि उसका आशय न तो छल करने का है और न ही ऐसे कथन द्वारा किसी की उपेक्षा करने का है तो ऐसे कथन के लिए अपकृत्य विधि के अन्तर्गत कोई दायित्व नहीं उत्पन्न होता है।

इंग्लैण्ड मे Misrepresentation Act, 1967 इस तरह के निर्दोष कथन के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। परन्तु ऐसी क्षतिपूर्ति तब दी जाती है जब व्यपदेशन होता है और उस व्यपदेशन के अनुसरण मे पक्षकार संविदा कर लेते है। इस अधिनियम के अनुसार व्यपदेशन का आशय न होने पर भी क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

यदि व्यपदेशन के अनुसरण मे कोई संविदा नही की गयी है, तो मिथ्या कथन (व्यपदेशन) के लिए अपकृत्य का सृजन नही होता है।

व्यपदेशन के मामले मे जब पक्षकारो के मध्य कोई संविदा नही रहती है तो भी जैसा कि हेडले वायरन के मामले मे व्यक्त किया गया था यदि कथन का निर्माण उपेक्षा के साथ किया गया है, तो उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाती है।

उपेक्षा (Negligence)

उपेक्षा का अर्थ (Meaning of Negligence)

उपेक्षा का अर्थ है कि जहाँ किसी व्यक्ति का सम्यक् सावधानी बरतने का कर्तव्य है और उसने ऐसी सावधानी नही बरती है, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित होती है।

WCW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

अपकृत्य विधि के अन्तर्गत उपेक्षा के दो अर्थ हैं—
1) किसी कार्य को उपेक्षापूर्ण ढंग से कारित करना।
जैसे - न्यूसेन्स (उपताप), मानहानि।
2) उपेक्षा एक पृथक अपकृत्य के रूप में; जहाँ सावधानी बरतने का कर्तव्य है परन्तु सावधानी नहीं बरती गयी।

परिभाषा - विनफील्ड के अनुसार, "किसी व्यक्ति द्वारा विधिक कर्तव्य का उल्लंघन जिसके फलस्वरूप वादी को क्षति होती है।"

उपेक्षा के आवश्यक तत्व - वादी को उपेक्षापूर्ण अपकृत्य के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना आवश्यक है—
1) वादी के प्रति सावधानी बरतने का प्रतिवादी का कर्तव्य होना चाहिए।
2) प्रतिवादी ने ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया है।
3) ऐसे कर्तव्य भंग के फलस्वरूप वादी को क्षति अथवा हानि हुई हो।

1) वादी के प्रति सावधानी बरतने का प्रतिवादी का कर्तव्य— प्रतिवादी को उपेक्षा के कार्य में सफल होने के लिये ये साबित करना पड़ेगा कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था। जिसका कि प्रतिवादी ने उल्लंघन किया है। इस सम्बन्ध में डोनोग्यू बनाम स्टेवेन्सन एक प्रमुख वाद है इस वाद में लार्ड ऐटकिन ने निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया— ऐसे कर्तव्यों अथवा लोपों से बचने में आप अवश्य ही युक्ति युक्त सावधानी का बर्ताव करो। जिनके लिए आप यह पूर्वानुमान कर सकते हैं कि वे सम्भावतः आपके पड़ोसी को क्षति पहुंचा सकते हैं।"

लार्ड ऐटकिन ने पड़ोसी की परिभाषा देते हुये कहा कि "पड़ोसी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे कार्य से इतनी

WOW!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

निकटता और प्रत्यक्षता के साथ प्रभावित होते हैं कि मैं ऐसा कार्य या लोप करते समय यह युक्ति-युक्त सोच सकता हूँ कि वह उनसे प्रभावित होंगे।"

डोनोग्यू बनाम स्टेवेन्सन के वाद में हाउस ऑफ लार्ड्स ने धारित किया कि जींजर बियर का निर्माता वादी के प्रति सावधानी रखने का कर्तव्य धारण करता था। उसका यह कर्तव्य था कि वह देखे कि बोतल में कोई हानिकारक तत्व न मिलने पाये, और यदि वह अपने इस कर्तव्य पालन में विफल रहता है तो वह उसके लिए उत्तरदायी होगा।

लार्ड ऐटकिन के अनुसार, "किसी उत्पाद वस्तु का निर्माता जिसे वह किसी रूप में बेचता है कि उसमें यह प्रदर्शित होता है कि उसका आशय उस उत्पाद को उसी रूप में जिसमें उसने निर्मित किया था। अंतिम उपभोक्ता के पास मिलता है और जो इस बात का ज्ञान है कि वह वस्तु को तैयार करने में अथवा उस उत्पाद को विक्रय के लिए प्रस्तुत करने में यदि उसकी ओर से युक्ति युक्त सावधानी का बर्ताव नहीं किया जाता तो उसके परिणामस्वरूप उस वस्तु का उपभोक्ता अपने जीवन अथवा सम्पत्ति की हानि उठा सकता है ऐसे उपभोक्ता के प्रति वह युक्ति युक्त सावधानी को बरतने का कर्तव्य रखता है।

सावधानी के बरताव का कर्तव्य – म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम सुभागवन्ती के वाद में दिल्ली के चाँदनी चौक में एक घण्टाघर थी जो कि दिल्ली नगर महापालिका के अधिकार क्षेत्र में था। घण्टाघर की इमारत 80 साल पुरानी थी। यद्यपि उसका जीवनकाल 90 से 95 वर्ष था। घण्टाघर की इमारत अवस्त होकर गिर पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उच्चतम न्याय ने यह अवधारित किया कि म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा

WOW!

Scanned with CamScanner

इस इमारत की देख- रेख मे लापरवाही बरती गई थी तथा इसके लिए दिल्ली नगर महापलिका को उत्तरदायी ठहराया गया।

जहाँ क्षति की पूर्व कल्पना नही वहाँ उत्तरदायित्व भी नही-
कैहस बनाम मोन्गिमी ब्रदर्स के वाद मे यह धारित किया गया कि चूँकि क्षति का पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नही था अत: प्रतिवादीगण उसके लिए उत्तरदायी नही थे।

कांउसिल (वकील) का मुवक्किल के प्रति कर्तव्य
मन्जीत कौर बनाम दयाल बस सर्विस लिमिटेड के वाद मे मन्जीत कौर जो कि विधवा था तथा जिसके पति की दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी थी ने अपने काउसिल (वकील) के द्वारा मुआवजे मे वृद्धि के लिए अपील दायर की मुकादमा दो सप्ताह तक दैनिक कार्य सूची पर रहा तथा तत्पश्चात पैरवी न होने के कारण खारिज कर दिया गया। काउंसिल (वकील) ने अपने मुवक्किल से कई वर्षो तक सम्पर्क नही किया तथा अपील की पुन: सुनवाई की अर्जी देने की समय सीमा समाप्त होगयी अत: पुन: सुनवाई वर्जित हो गयी। इस वाद मे वकील की गम्भीर बीमारी तथा उसके द्वारा बिना शर्त क्षमा याचिका को ध्यान मे रखते हुये उसे यह चेतावनी दी गयीकि वह ली गयी फीस को वापिस कर दे तथा पक्षकार को उसकी अपील की पुन: सुनवाई के लिए एक हजार रूपये खर्चा प्रदान करे।

कर्तव्य का उल्लंघन – कर्तव्य भंग का अर्थ सम्यक सावधानी का पालन करना है। जिसका कि किसी विशेष परिस्थिति मे पालन करना चाहिए था।
यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यवसाय को चला रहा है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह उस

W.O.W.!

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc

प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त सतर्कता और सावधानी का प्रयोग करो।

डा० लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी बनाम डा० त्रिम्बक बाबू गोडबोले

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc
Scanned with CamSc